

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

अकादमिक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1033

रीवा, दिनांक 5.8.2021

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाजविज्ञान संकाय अन्तर्गत व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी

व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल


अधिनियम	28(2) एक	1.	प्रो० एन०पी० पाठक, आचार्य, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
		2.	प्रो० राजीव दुबे, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)
	28(2) दो	1.	रिवत
		2.	रिवत
	28(2) तीन	1.	रिवत
	28(2) चार	1.	रिवत
		2.	रिवत
	28(2) पाँच	1.	प्रो० शैलेष चौबे, आचार्य, अर्थशास्त्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म०प्र०)
		2.	प्रो० उमेश होलानी, आचार्य, व्यवसाय प्रबंध विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म०प्र०)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत प्रो० राजीव दुबे को व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)